

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पिपलिया मिश्र से तीन पानी मुण्डिया कला-कमुआ-केमरी (ग्रामीण मार्ग) किमी० चैनेज 8.568 से 8.618 के मध्य दांयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प (इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, बरेली) के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग पर याचक विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अर्थात वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथासंशोधित 1988 की धारा-2 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

दिनांक - 08.08.2017

स्थान - रामपुर।

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक.

सामाजिक वानिकी प्रभाग

राज्य रामपुर

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बिलासपुर जिला (रामपुर)